



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 29 जनवरी, 2026 ई०

माघ 09, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

मंत्रिपरिषद अनुभाग

ई-पत्रावली संख्या 77311/2024

देहरादून, 29 जनवरी, 2026

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 की धारा 13 और धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात:-

उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली, 2026 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन-

- उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. कोई मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री तथा उप मंत्री भी सम्मिलित हैं, उत्तराखण्ड में या उसके बाहर, किन्तु भारत के भीतर अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये फुटकर खर्च का हकदार होगा। ऐसे खर्च की अधिकतम सीमा एक कलैण्डर माह में रुपये 60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र) होगी।	4. कोई मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री तथा उप मंत्री भी सम्मिलित हैं, उत्तराखण्ड में या उसके बाहर, किन्तु भारत के भीतर अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये फुटकर खर्च का हकदार होगा। ऐसे खर्च की अधिकतम सीमा एक कलैण्डर माह में रुपये 90,000/- (रुपये नब्बे हजार मात्र) होगी।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 77311/2024, dated January 29, 2026 for general information:

E file No. 77311/2024,
Dated Dehradun, January 29, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 6 and 13 of the Uttarakhand Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 2009, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttar Pradesh Minister's (Travelling Allowances) Rules, 1997 (as applicable in the Uttarakhand) in the context of Uttarakhand State, namely:-

THE UTTAR PRADESH MINISTER'S (TRAVELLING ALLOWANCES) (AMENDMENT) RULES, 2026

1. Short title and Commencement

(1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Minister's (Travelling Allowances) (Amendment) Rules, 2026.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of rule 4

In the Uttar Pradesh Minister's (Travelling Allowances) Rules, 1997 (as applicable in the Uttarakhand), for the existing rule 4 as set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as here by substituted
4. Any Minister, including Chief Minister, State Minister & Deputy Minister, shall be entitled for journeys performed in connection with discharge of his official duties within Uttarakhand or beyond it, but within India, to out of pocket expenses. The aggregate of such expenses shall be subject to maximum of rupees 60,000/- (Rupees Sixty thousands only) in one calendar month.	Any Minister, including Chief Minister, State Minister & Deputy Minister, shall be entitled for journeys performed in connection with discharge of his official duties within Uttarakhand or beyond it, but within India, to out of pocket expenses. The aggregate of such expenses shall be subject to maximum of rupees 90,000/- (Rupees ninety thousands only) in one calendar month.

By Order,

SHAILESH BAGAULI,
Secretary.